





AJAY KUMAR SHARMA	RAM CHANDRA SHARMA	25 Feb 1990	POST GRADUATION	B.ED.	13	6-8	01 Apr 2018	Trained	Yes
GHAZALA PERWEEN	MD MOBIN AKHTAR	31 Dec 1982	POST GRADUATION	B.ED.	12	6-8	01 May 2016	Trained	No
CHANDRA BHUSHAN SINGH	MAHADEV SINGH	15 Dec 1979	POST GRADUATION	B.ED.	11	6-8	08 Jul 2023	Trained	No
AMRITA SINGH	SUMIT KUMAR	20 Apr 1990	Graduation	B.ED.	2	6-8	06 May 2024	Trained	No
KUSUM YADAV	UGRASEN YADAV	26 Apr 1989	POST GRADUATION	B.ED.	12	1-5	08 Jul 2023	Trained	No
MAYANK KUMAR	JANARDAN PRASAD SINGH	30 Jun 1987	Graduation	D.EL.ED.	6	6-8	01 Dec 2023	Trained	No
RAHUL KUMAR	BIRENDRA KUMAR GUPTA	29 Mar 1997	POST GRADUATION	B.ED.	3	6-8	06 May 2024	Trained	No
MANISHA KUMARI	ALOK KUMAR	24 Jun 1974	Graduation	B.LIS.	2	6-8	06 May 2024	Trained	No
RAVI SHANKAR PRASAD	BALESHWAR PRASAD	07 Mar 1982	POST GRADUATION	B.ED.	10	1-5	01 Apr 2018	Trained	No
KUMARI RIJA SINHA	RAJDEO SINGH	03 Dec 1982	Graduation	D.ED.-SE-MR	8	1-5	01 Apr 2018	Trained	No
RINKI SINHA	ABHAY KUMAR	01 Dec 1984	Graduation	B.ED.	2	1-5	01 Apr 2025	Trained	No
SADHANA KUMARI	RAGHUPATI SHARMA	18 Dec 1980	Graduation	B.ED.	10	1-5	01 May 2016	Trained	No
SONY RAMBABU SHAH	RAVI SHANKAR GUPTA	12 Jun 1985	Inter	MS-CIT	10	1-5	06 May 2024	Trained	No
CHANDAN KUMAR	AMAR NATH ROY	15 Jan 1998	Inter	D.EL.ED.	4	1-5	17 Oct 2022	Trained	No
LALAN PANDIT	MAHESH PANDIT	07 Mar 1974	Graduation	B.ED.	10	1-5	01 Sep 2025	Trained	No
KAMLESH KUMAR	BHUDEO PRASAD	08 May 1966	POST GRADUATION	D,PH.ED.	10	6-8	01 May 2021	Trained	No
SANJEEV KUMAR	JAY GOVIND SINGH	13 Dec 1985	Graduation	DOECC	10	1-5	06 May 2024	Trained	No
PRABHAT KUMAR	SHATRUGHAN PRASAD SINGH	05 May 1973	Graduation	D.EL.ED.	6	1-5	17 Oct 2022	Trained	No

(झ.)	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या :-	
1	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है   (वर्ग 8 तक )	NCERT, CBSE, SCERT
2	छात्रों के आकलन की पद्धति	EXAMINATION
3	क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है	No
ट.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डाएस) में भी समर्पित किया गया है।	

ठ.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।
ड.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग, द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले प्रतिवेदन और सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उनका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निर्धारित मापदंड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप कमियों को दूर करने हेतु निरंतर प्रयास करेगा।
ढ.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अभिलेख जैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा जिससे केन्द्र स्थायी निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/ पंचायत /नगर निगम (जो लागू हो) के प्रति जबाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | VAISHALI  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0  
शिक्षा केंद्र - 2 कामपुनिटी सेंटर 0

विषय :- बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपबिधय के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र।

महाराज,

आपके आर्टिकल पत्र दिनांक 25-11-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय ST MICHAEL'S SCHOOL, BUDHA VIHAR MATHURAPURGANJ, LALGANJ, 844121. कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 25-11-2021 से 25-11-2024 आदि के लिए औपचारिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न बातों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-1) तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुसूचक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। बड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुक्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिना 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय असंग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चों के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारकों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
  - (i) किसी भी नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय निष्कासित किया जाएगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में बिकल्प / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
  - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
  - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।

1. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निर्देशन के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(I) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 6636.84

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 6636.84

(III) खेल के मैदान क क्षेत्र :- DRINKING, BATHING, PLAYGROUND, PARKING

(IV) वर्ग कक्षा की कुल संख्या :- 19

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 3

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग सौदास्य :- Indian , Boys :- 12 , Girls 8

(VII) पेयजल की सुविधा :- 12

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(IX) बाधारहित पहुँच ( ) :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री। खेल-कुद उपकरण/पुस्तकत्व पुस्तकालय :- BLACK BOARD, WHITE BOARD, SMART BOARD, SMART CLASS, GLOBE, CHAR PAPER, CHALK, DUSTER, MARKER, SCIENCE LAB EQ, MATH LAB EQ, COMPUTER, NOTICE BOARD, etc. . FOOTBALL, BAT, BALL, BADMINTON, CAROM BOARD, VOLLYBALL, LUDO, CHESS, SKIPPING ROPE, RING, DISCUS THROW etc. . ( Y , 597 , NewsPaper MagaZine:- 19 )

11. कोई भी अप्रसवीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबन्धित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विलस के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संबन्धित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के स्वाम के लिए संबन्धित नहीं होगा।

15. सेखा का अकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त सेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष भिन्ना शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आबंटित प्रसवीकृति कोड संख्या [ 220127020211125191209, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय -माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रसवीकृति की वार्डों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संघासन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर विरगत अनुवेद्यों का अनुपासन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य वार्डों

*Handwritten signature*

09-03-2022  
विद्यालय  
जिला कार्यालय पदाधिकारी  
समूह शिक्षा, पंचसली  
सह-सचिव प्रसवीकृत समिति  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार